न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 04 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 6

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

प्रार्थी: रूघाराम पुत्र स्व. श्री प्रभुराम, जाति जाट (सोहू) निवासी ग्राम चिण्डालिया, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थी:

1. बजरंगसिंह पुत्र लादूसिंह
2. संतोषकवंर पुत्री लादूसिंह
3. सरोजकवंर पुत्री लादूसिंह
   तीनों जाति राजपुत, निवासीगण ग्राम चिण्डालिया, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
4. भोमराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
5. चन्द्राराम पुत्र स्व. श्री प्रभुराम
6. जेठूदेवी पत्नी स्व. श्री प्रभुराम
7. हेमाराम पुत्र स्व. श्री प्रभुराम
8. लक्ष्मणराम पुत्र स्व. श्री प्रभुराम
9. लिछमादेवी पुत्री स्व. श्री प्रभुराम
10. चेनाराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम
11. उगमराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम
12. मोहनीदेवी पुत्री स्व. श्री पेमाराम
13. संतोष पुत्री स्व. श्री पेमाराम
14. शेराराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
15. मूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
16. झमकूदेवी पत्नी स्व. श्री देवाराम
17. ज्यानादेवी पुत्री स्व. श्री देवाराम
18. सोहनीदेवी पुत्री स्व. श्री देवाराम
19. रेखादवी पुत्री स्व. श्री देवाराम
    सभी जाति जाट (सोहू) निवासी ग्राम चिण्डालिया, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना।
21. उपखण्ड अधिकारी मकराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:39:44 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 235 राज. का[illegible] अधि.

उपस्थितः–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 30.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

1. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 19 ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत में एक राजस्व वाद संख्या 27/2023 बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 प्रस्तुत कर रखे है जिनके उनवान भोमाराम बनाम बजरंगसिंह वगै. है एवं जिनमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.01.2024 को है। यह वाद ग्राम चिण्डालिया के खसरा संख्या 48/2 की सम्पूर्ण 0.627 हैक्टेयर भूमि के लिये है, मौके पर यह खसरा संख्या 48/2 अलग से नहीं है, मौके पर यह खसरा संख्या 48/2 खसरा संख्या 48/1 की 3.3690 हैक्टेयर भूमि के साथ एक ही चक में हैं। खसरा संख्या 48/1 की सम्पूर्ण 3.3690 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 48/2 की 0.0627 हैक्टेसर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 19 के ही कब्जे काश्त व अधिकारों में वक्त जागीरकाल से है, राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों की दुरूस्ती बाबत खसरा संख्या 48/1 की सम्पूर्ण 3.3690 हैक्टेयर भूमि के लिए अलग से वाद संख्या 26/2023 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 भी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत में प्रस्तुत कर रखे हैं जिनका उनवान भोमाराम वगै. बनाम कमलजीतसिंह वगै. है एवं जिसमें भी आगामी तारीख पेशी 30.01.2024 ही है। राजस्वा वाद संख्या 27/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 के प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 श्री बजरंगसिंह जी स्वयं को जयपुर में डॉक्टर बताते है एवं उनके पुत्र श्री धीरेन्द्रसिंह जी एडवोकेट है जो स्वयं को माननीय उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करना बताते है। दानों पिता पुत्र धनवान एवं प्रभावी व्यक्ति हैं।
2. उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित राजस्व वाद संख्या 27/2023 एवं 26/2023 के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 19 ने उपखण्ड अणिकारी मकराना की अदालत में ही एक अन्य राजस्व वाद संख्या 25/2023 घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है जो कि खसरा संख्या 58 व 59 के संबंध में है।
3. उपरोक्त पैरा संख्या 01 व 02 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 19 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 25/2023, 26/2023 व 27/2023 तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 व 25/2[illegible]वा खसरा संख्या 99, 99/2 के संबंध में भी अ[illegible] वाद व टी आई प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी मकराना [illegible] अदालत में प्रस्तुत कर रखे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:39:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

4. उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 27 / 2023 तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25 / 2023 में केवल अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ही पक्षकार है। वाद संख्या 25 / 2023 में 81 प्रतिवादीगण है, वाद संख्या 26 / 2023 में 58 प्रतिवादीगण है, खसरा संख्या 99, 99 / 1, 99 / 2 के वाद में 55 प्रतिवादीगण है। वाद संख्या 25 / 2023, 26 / 2023 व खसरा संख्या 99, 99 / 1, 99 / 2 के दावों में अधिकांश प्रतिवादीगण कॉमन है एवं राजस्व न्यायालय में इनके अधिवक्ता भी समान है।

5. यह है कि उपरोक्त वर्णित दावों के प्रतिवादी / अप्रार्थीगण सज्जनसिंह, कानसिंह, विजेन्द्रसिंह व अमरसिंह ने अप्रार्थी संख्या 01 श्री बजरंगसिंह के पुत्र एडवोकेट श्री धीरेन्द्रसिंह के मार्फत उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत में दिनांक 25.10.2023 को एक परिवाद प्रस्तुत किया व खसरा संख्या 59, 48 / 1 व 99 की जमीन को कुर्क करने की प्रार्थना की, उक्त परिवाद बिल्कुल झूठा था लेकिन उपखण्ड अधिकारी मकराना ने इन लोगों के दबाव एवं प्रलोभन में आकर ग्राम चिण्डालिया के खसरा नं. 59 की सम्पूर्ण 5.9837 हैक्टेयर, खसरा नं. 48 / 1 की सम्पूर्ण 3.3690 हैक्टेयर व खसरा नं. 99 की सम्पूर्ण 8.7930 हैक्टेयर भूमि को एक पक्षीय कुर्क कर तहसीलदार को तुरन्त कब्जा लेने हेतु आदेश दे दिये, उक्त गलत कुर्की आदेशों को पारित करवानें में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार मकराना का भी योगदान रहा। यह तो हमारे सोभाग्य की बात थी कि हमें उक्त गलत आदेशों की जानकारी तहसील में आदेश पहुचते ही हो गई एवं हमारे परिवार वालों व मेघवालों ने माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना की अदालत में दिनांक 27.10.2023 को ही निगरानी प्रस्तुत कर दी एवं माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना की अदालत द्वारा उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत द्वारा पारित एक पक्षीय कुर्की आदेश दिनांक 25.10.2023 को प्रथम दृष्ट्या गलत मानकर उसकी पालना रोक दी अन्यथा हमारी जमीनें उसी दिना छीन ली जाती। दानों पक्षों को सुनकर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना की अदालत द्वारा निगरानी संख्या 20 / 2023 दिनांक 02.01.2024 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत की कार्यवाही को अपास्त कर दिया।

6. यह है कि जब तक उपरोक्त वर्णित कुर्की आदेश नहीं हुए थे एवं माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना की अदालत द्वारा कुर्की आदेश निरस्त नहीं किये गये थे तब तक उपरोक्त वर्णित [illegible] नियमित रूप से तारीख पेशियां ली जाती रहीं लेकिन जैसे ही माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मकराना की अदालत द्वारा उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत द्वारा पारित एक पक्षीय कुर्की आदेश को दिनांक 02.01.2024 को निरस्त किया उसके बाद इस मामले में अप्रार्थीगण की ओर से एक सप्ताह से अधिक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

तारीख पेशी नहीं ली जाती एवं प्रार्थी के वाद संख्या 27/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के बहाने खारिज करवाना चाहते है।

7. पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार मकराना की गलत रिपोर्ट को झूठा आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी मकराना अदालत द्वारा उपरोक्त वर्णित कुर्की आदेश कर देने के विरूद्ध प्रार्थी वगै. ने इन पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार मकराना एवं स्वयं उपखण्ड अधिकारी मकराना के विरूद्ध उच्च अधिकारियों, भ्रष्टाचार निवारण विभाग, राजस्व मण्डल व सरकार को शिकायतें/परिवाद किये जिनमें से एक मामले में श्रीमान के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी द्वारा जांच की जा रही है एवं एक प्रकरण महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में भी इन पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार मकराना एवं स्वयं उपखण्ड अधिकारी मकराना के विरूद्ध दर्ज हुआ है जिसके परिवाद संख्या एच–5575/2023 दिनांक 18.12.2023 है।

8. गांव में अप्रार्थीगण की ओर से एलानिया कहा जा रहा है कि उपखण्ड अधिकारी मकराना अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आदेश कर वाद संख्या 27/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 को दिनांक 30.01.2024 को खरिज कर देंगे एवं उसके बाद अप्रार्थीगण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 19 को बेदखल कर स्वयं काबिज हो जायेंगे।

9. उपरोक्त वर्णित आधारो से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी मकराना अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 का पक्ष ले रहे है एवं हमारे खिलाफ है, उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा पारित कुर्की आदेशों को हमारे द्वारा निरस्त करवा देने एवं उनके विरूद्ध हमारे द्वारा शिकायतें करने व महसनिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में परिवाद संख्या एच–5575/2023 दर्ज हो जाने से उपखण्ड अधिकारी मकराना हमारे खिलाफ है एवं उपखण्ड अधिकारी मकराना से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 27/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 उनवान भेमाराम बनाम बजरंगसिंह वगै. को श्रीमान के किसी अन्य अधिनस्त राजस्व न्यायालय में सुनवाई करने के लिये हस्तान्तरित करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:39:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह आरोप है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी मकराना) से सांठ गांठ करके प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय कराने पर उतारू है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पीठासीन अधिकारी से मिले हूए हो। जिन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है उनका स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो चुका है। प्रार्थीगण का आरोप है कि नये पीठासीन अधिकारी से भी अप्रार्थी संख्या 01से 03 मिली भगत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित करवा सकते है परन्तु इस संबंध में भी प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य या सबुत पेश नहीं किये है।

चुकि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है उनके स्थान पर नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है ऐसी स्थिति में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **30.04.2024** को सुनाया गया।

30/4/24

(बाल मुकुन्द असावा, **IAS**)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कु

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:39:44 IST
Reason: SelfAttested